न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0–1349/2026
ि ावाजीनगर थाना कांड सं0–59/2026
सचिन कुमार एवं एक अन्य .... आवेदक
बनाम
बिहार सरकार .... विपक्षी।

उपस्थितःबसंत कुमार
वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम)
आदे ा दिनांक 04.07.2026

आवेदक अभियुक्त **1. सचिन कुमार एवं 2. सूरज कुमार** की ओर से शिवाजीनगर थाना कांड सं0–59/2026, अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2022 के प्रसंग में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पक्ष को दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन कुमार सिंह का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका 2 वादों में आपराधिक इतिहास है। उनके पास से कोई बरामदगी नहीं है। उन्हें पुलिस से गिरफ्तारी का भय है। वे अग्रिम जमानत के शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। उनके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्राथमिकी सूचक मुकेश कुमार सिंह, पु.अ.नि. के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध शिवाजी नगर थाना कांड सं0–59/2026, दिनांक 11.05.2026, धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2022 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी सारांश यह है कि ''सूचक घटनातिथि को दीवा–गश्ती के दौरान पुलिस बल के साथ दहियार चौर पहुंचे तो देखे कि बोरी लदा एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। जिसमें अभियुक्त शिवकांत कुमार को पकड़ा गया। तब तलाशी के नियमों का पालन करते हुए बोरा का तलाशी लेने पर कुल मात्रा 16.5 लीटर विदेशी शराब जप्त किया गया जिसका विधिवत जप्ती सूची बनाकर मोटरसाइकिल के साथ जप्त किया। पकड़ाए व्यक्ति

से शराब आपूर्ति करने वाला का नाम–पता पूछने पर उसने उनका नाम क्रमशः सचिन कुमार एवं सूरज कुमार बताया। यह भी बताया कि अभी उनके घर का

न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0–1349 / 2026
ि ावाजीनगर थाना कांड सं0–59 / 2026

लगातार

04.07.2026 छापामारी करने पर उनको पकड़ा जा सकता है। तब वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए उनके घर का छापामारी करने पर सचिन कुमार एवं सूरज कुमार भाग गए तथा सूरज कुमार के गछवानी से कुल मात्रा 16.5 लीटर विदेशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।

आवेदकगण प्राथमिकी अभियुक्तगण हैं। उनके उपर अवैध विदेशी शराब रखने एवं बिक्रय करने का आरोप लगाया गया है। सह–अभियुक्त के निशानदेही पर सूरज कुमार के घर के पीछे गछवानी से कुल मात्रा 16.5 लीटर विदेशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जिसकी जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। अभियुक्तों का दो वादों में आपराधिक इतिहास भी है। बिहार में पूर्ण शराब–बंदी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। वाद अनुसंधान की स्थिति में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव अभियुक्त **1. सचिन कुमार एवं 2. सूरज कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

विशेष न्याया0, उत्पाद (प्रथम),
समस्तीपुर